न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/62/2018	20—03—2018	15—01—2019

01—जनार्दन पुत्र पूरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम बबेड़ी, तहसील बानसूर जिला अलवर राज।

अपीलान्ट

बनाम

01—तहसीलदार बानसूर, जिला अलवर

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 22.01.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 524/2018

उपस्थितः—

01—श्री भूपसिंह पोसवाल —वकील अपीलान्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 22.01.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023, 759 कुल रकबा 12.41 है0 में से 1.76 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बबेड़ी की सरकारी चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 1023, 759 कुल रकबा 12.41 है0 में से 1.76 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2017 को पटवारी द्वारा अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 22.01.2018 के विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया। जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार बानसूर का निर्णय छपे—छपाये साईक्लोस्टाईल प्रोफॉर्मा में जारी किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार बानसूर द्वारा आदेश जारी करते समय विधिक प्रकिया नहीं अपनाई गई है तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलान्ट तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलार्थी का सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15—01—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)